

ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी  
पंचायत समिति -

विषय:-शिक्षा के अधिकार अन्तर्गत फीस पुर्नभरण राशि के लिये वित्तीय वर्ष 2017-18 में शैक्षिक सत्र 2015-16 प्रथम/द्वितीय एवं 2016-17 प्रथम/द्वितीय किश्त हेतु बजट आवंटन।

विषयान्तर्गत निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(ग) में किये गये प्रावधानों की पालना में राज्य के गैर सरकारी विद्यालयों में दुर्बल वर्ग एवं असुविधाग्रस्त समूह के बालकों को निःशुल्क शिक्षण हेतु प्रवेश के उपरान्त वित्तीय वर्ष 2017-18 में शैक्षिक सत्र 2015-16 प्रथम/द्वितीय एवं 2016-17 प्रथम/द्वितीय किश्त की राशि के पुनर्भरण हेतु निम्नांकित लेखामद में निम्नानुसार राशि का आवंटन किया जा रहा है:-  
बजट मद - 2202-01-800-14-00-57(राज्य निधि)

क्र.सं.	ऑफिस आईडी	जिले का नाम	आवंटित राशि
1	1612	बहरोड, अलवर	382267
2	1618	थानागाजी, अलवर	657175
3	1616	तिजारा, अलवर	72240
4	32945	सेडवा, बाडमेर	198840
5	1589	अंता, बारां	278025
6	1585	शाहबाद, बारां	11000
7	1620	कुम्हेर, भरतपुर	235000
<b>योग</b>			<b>1834547</b>

उक्त राशि वित्तीय वर्ष 2017-18 में उपयोग हेतु आवंटित की गई है तथा राशि का उपयोग इस कार्यालय के आर.टी.ई. अनुभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों के अनुसार नियमानुसार किया जावे।

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक फ. 5 (थ-75) कोष/IFMS/कोषालय/23484- 23623 दिनांक 13.12.2013 के तहत आई.एफ.एम.एस के अन्तर्गत कोषालय से प्रत्येक माह की 1 से 10 तारीख तक किये गये आय व्यय के आंकड़ों का मिलान 14 तारीख तक एवं 11 तारीख से माह के अन्त तक का मिलान आगामी माह की 3 तारीख तक आवश्यक रूप से किया जाये।

[www.rajteachers.com](http://www.rajteachers.com)

(राजेन्द्र सिंह डूडी)  
वित्तीय सहालाकार  
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

प्रतिलिपि:-

1. महालेखाकर (लेखा एवं हक) राजस्थान जयपुर।
2. नोडल अधिकारी, सिस्टम एवं अनुभाग अधिकारी कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा।
3. उप निदेशक, आरटीई.अनुभाग।
4. सहायक लेखाधिकारी अंक मिलान/योजना अनुभाग।
5. रक्षित पत्रावली।

(राजेन्द्र सिंह डूडी)  
वित्तीय सहालाकार